

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-75/95-एफ.सी. दिनांक 17.07.1996 एवं उ०प्र० राज्य सरकार के आदेश संख्या 5281/14-2-96-800(27)/1995 दिनांक 15.10.1996 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1996 में 25 वर्षों के लिये (दिनांक 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) 52.9666 हेक्टेयर वन भूमि 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 52.9666 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित वनभूमि का एन०पी०वी० आंकलन निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हे०)	इको क्लास-03 के अनुसार एन०पी०वी० की दर (प्रति हे०)	निर्धारित धनराशि
1	आरक्षित वनभूमि	52.9666	8,87,000.00	4,69,81,374.20 या 4,69,81,374.00
(रूपया चार करोड़ उन्हत्तर लाख इक्यासी हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र)				


क्षेत्रीय वन अधिकारी
अनपरा रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट


क्षेत्रीय वन अधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, छोनभद्र


(एम०पी० सिंह)
प्रभागीय वन अधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट
प्रभागीय वन अधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट


उ.प्र.व.अ.
पिपरी